



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 फरवरी, 2016

माघ 15, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 151/79-वि-1-16-1(क)-26-2015

लखनऊ, 4 फरवरी, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 24 जनवरी, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अधिनियम संख्या 2 2-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में
सन् 1899 की धारा यथा संशोधित, की धारा 76-क में, खण्ड (ख) में, अंक "56 (1)" के स्थान पर अंक और शब्द
76-क में संशोधन "56 (1) (1-क)" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो वर्तमान में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी में निहित हैं, का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजस्व परिषद् द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आम जनता को राजस्व परिषद् में ही अपील दाखिल करने की आवश्यकता के कारण कठिनाई हो रही है, जिससे उसके निस्तारण में विलम्ब होने की सम्भावना बनी रहती है। माह दिसम्बर, 2014 तक मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष लगभग 2300 स्टाम्प अपील के मामले लम्बित हैं, जिनमें रुपये 1,14,73,50,500 की धनराशि अन्तर्वलित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (1-क) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा अब तक प्रयुक्त शक्तियों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मण्डल के उपायुक्त स्टाम्प को किया जाना प्रस्तावित है। अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि सरकारी राजस्व हित, आम जनता की सुविधा एवं स्टाम्प अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76-क (ख) में संशोधन किया जाय।

तदनुसार भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 151 (2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)-26-2015

Dated Lucknow, February 4, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 24, 2016.

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 1 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furtherto amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent
and
commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899, as amended in its application to Uttar Pradesh, in clause (b) for the figures "56 (1)" the figures and letter "56(1) (1-A)" shall be *substituted*. Amendment of section 76-A to Act no. II of 1899

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, the powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act, which are vested in Chief Controlling Revenue Authority are exercised by Board of Revenue only with reference to the State of Uttar Pradesh. As a result of this, public in general is facing difficulties on account of appeals needed to be filed only in the Board of Revenue which is likely to cause delay in the disposal of the same. Till December, 2014 there are approximately 2300 stamp appeal cases in which an amount of Rs. 1,14,73,50,500 is involved, are pending before Chief Controlling Revenue Authority. The powers conferred under section 56 (1-A) of Indian Stamp Act hitherto exercised by Chief Controlling Revenue Authority is proposed to be delegated to Deputy Commissioner, Stamps of the concerned Division. Therefore it is necessary to amend section 76-A (b) of Indian Stamp Act, 1899 in the interest of Government revenue, public in general and quick disposal of stamp appeal cases.

The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.